PBC No.267 / 2024

दक्षिण रेलवे Southern Railway
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय
Office of the Principal Chief Personnel Officer
प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग, चेन्नै-600003
Headquarters, Personnel Department, Chennai-600003

सं/No: P(R) MC-69/GDCE   दिनांक/Dated: 11.12.2024

All PHODs/ DRMs/ CWMs/ CEWE/ CAO/ CPM/ PDA/ Dy.CPOs/ Sr.DPOs/ Secy to GM, Chairman/RRB/MAS,TVC, Addl.Registrar/RCT/MAS, Secretary/RRT/MAS, Principal MDZTI/TPJ, SRCETC/TBM, ZETTC/AVD, DPOs/SPOs/WPOs/APOs of HQ/Divisions /Workshops/Units.

विषय/Sub:Master Circular – 69 - Consolidated instructions in respect of GDCE.

***

A copy of Railway Board's letter No.E(NG)I/2023/PM1/19 dated 07/08.10.2024 on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

संलग्नक/Encl. 18 pages

CHILAKALAPUDI ANJANIKUMAR
Digitally signed by CHILAKALAPUDI ANJANIKUMAR
Date: 2024.12.11 16:34:19 +05'30'

सहायक कर्मचारी संबंधी अधिकारी/Asst Personnel Officer / IR & Trg.

कृते प्रमुकाधि/**For Principal Chief Personnel Officer**

प्रतिलिपि/Copy to: The General Secretary/SRMU
The General Secretary/AISCTREA
The General Secretary/AIOBCREA
The General Secretary/NFIR

IT Section/PB/HQ - to upload in the SR website.

Master Circular No. 69/2024

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2023/PM1/19 **New Delhi, dated 07.10.2024** 08

The General Manager (P),
All Zonal Railways,
Production Units & others
(as per standard mailing list)

Sub: Master Circular- Consolidated instructions in respect of GDCE examination

A number of Orders/Circulars on the above subject have been issued by the board from time to time which are scattered in a number of circulars/orders. It has been decided to consolidate all such instructions issued till date for the information and guidance of all concerned. While referring to this Circular, the original letter referred to therein should be read for proper appreciation and in case of doubt, the original letter should be relied upon as authority.

2. Since only the important instructions on the subject have been included in this Master Circular, some instructions might not have found place herein. Instruction contained in circulars not included in the Master Circular, should not be deemed to have been superseded simply because of their non-inclusion.

3. The number and date of the relevant Letter has been mentioned under each instruction, which can be accessed from this Ministry's website https://indianrailways.gov.in.

4. Hindi version will follow.

Sanjay 07/10/24
(Sanjay Kumar)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board.

No. E(NG)I/2023/PM1/19 **New Delhi, dated 07.10.2024** 08

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.

for PED(IR)/Railway Board

Advisor/MR, PSs/MoSR(D), MOSR (J), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR

PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

****

1. GDCE scheme has been introduced primarily with a view to accommodate surplus staff generated due to phasing out of steam traction resulting in closure of steam sheds and closure of goods and transshipment etc, a large no. of regular staff are restrained and redeployed in alternative jobs quickly.

2. All regular employees possessing the prescribed educational qualification for direct recruitment shall be eligible to appear in GDCE examination.

3. GDCE will comprise of a written test and the panels will be formed strictly in order of merit. The standard of examination shall be like that of direct recruitment to avoid any dilution of the cadre. If suitable candidates do not become available in adequate number as a result of GDCE, the shortfall will be made good by direct recruitment through Railway Recruitment Board.

4. Psychological test will be conducted for categories where it is required for direct recruitment.

5. Zone of consideration for GDCE will encompass staff belonging to all the Departments/Branches in a Division/workshop/Headquarter Office/Extra Divisional Office/Production Unit as the case may be subject to their applying through proper channel in response to the notification for GDCE.

6. The total requirement for direct recruitment should be vetted by the Headquarters/GM's Office as usual and thereafter GDCE for 25% thereof may be conducted by Headquarters Office of the Zonal Railway or GM's Office of the Production Unit, as far as possible, but if considered expedient by the GM, the same may be conducted centrally by a Division/Workshop/Extra Divisional Office nominated by him in the case of Zonal Railways. However, for one Category or a group of categories only one GDCE shall be conducted centrally on a Zonal Railway.

7. Seniority of GDCE candidates in the cadres in which they are placed shall be as admissible to direct recruits.

(Ref: Board's letter No. E(NG)I/92/PM2/16 dated 20.08.1993)

8. Running Staff fulfilling the qualifications prescribed for direct recruitment to Junior Engineer Gr.II may also be allowed to appear in the GDCE in the categories of Junior Engineer Gr.II in the pay scale of Rs.5000-8000(RSRP).

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I-92/PM2/16/Vol.II dated 08.04.1999).

9. In partial modification of instructions contained in Board's letter E(NG)I/92/PM2/16 dated 20.08.93, the practice of holding viva-voce test as part of the selections under the scheme of GDCE for categories covered under the scheme should be discontinued with immediate effect

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I-99/PM1/13 dated 07.05.1999)

10. In the PNM-NFIR meeting, the federation pointed out that some Railways by misinterpreting have taken a view that the GDCE once conducted for a category cannot be applied again for that category. The Board desires to clarify that the very fact that the scheme of GDCE has been extended from time to time, it has never been the intention to restrict conducting GDCE only once in the specified categories. Therefore, as long as the scheme of GDCE is in vogue, the railways while placing indent on RRBs for filling direct recruitment vacancies in the specified categories shall earmark 25% thereof for GDCE.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/92/PM2/16/Vol.II Dated 11.06.1999)

11. It has been decided that since the scheme of GDCE has been carved out from the direct recruitment quota of vacancies, the same will be treated as direct recruitment and therefore, the reservation for OBCs to the extent permissible will be applicable.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/98/PM1/49 Dated 07.10.1999).

12. (i)The scope of GDCE has been further widened to include all those categories, except the categories of Law and Catering Supervisors grade Rs.3200-4900 and the Accounts cadres, which are having a direct recruitment quota of 25% or more,

(ii) to relax the age limit for candidates appearing in the GDCE from the existing 40 years to 42 years for General Candidates, 43 years to 45 years for OBCs and 45 years to 47 years for SC/ST candidates; and

(iii) That GDCE should be conducted by relevant Railway Recruitment Boards along with direct recruitment examination conducted for the same category by RRB with a separate merit list of GDCE candidates.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I-2000/PM2/12 dated 21.08.2001)

13. General Managers have been delegated powers to allow filling up direct recruitment quota vacancies by GDCE in excess of 25% of the direct recruitment quota vacancies already earmarked to be filled by GDCE under the existing scheme, up to the limit of 50% of the direct recruitment quota vacancies in individual cases, under their personal approval, so as to expedite the filling up of vacancies in essential categories as well as to expedite the redeployment of surplus staff.

(Ref: Board's Letter No.E(NG)I/2001/PM2/12 dated 21.01.2002)

14. It has been decided that the RPF/RPSF personnel cannot be allowed to appear in the GDCE. They will not be eligible to appear in other Department Selection in Department other than RPF/RPSF.

(Ref: Board's letter No. E(NG)I/2002/PM2/9 dated 11.08.2003)

15. In respect of GDCE that may be held hereafter for filling up the post of Dsl./Elec. Asstt., no distinction be made between GDCE for 25% of DR quota and additional 25% of DR quota, if so decided to be filled by the General Manager, and a single selection be held.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I-2001/PM2/12 dated 22.07.2004)

16. It has been decided that wherever, the vacancies remain unfilled in Promotion Quota, the same may be carried forward to LDCE/GDCE, If any, and unfilled vacancies of LDCE/GDCE may be carried forward to direct recruitment quota for the next year/next selection. In case there is no LDCE/GDCE for that post, the unfilled vacancies may be diverted to direct recruitment quota of the upcoming year.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2010/PM1/16 dated 10.09.2014)

17. It has been decided that GDCE for all posts, may be conducted in single stage only in view of small number of Railway employees appearing against the same.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2008/PM1/16 dated 10.06.2015)

18. It has been decided that the Railways who want to conduct GDCE online may do so with the condition that expenditure for conduct of these ONLINE exams will be borne by Railway itself.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2008/PM1/6 Part dated 02.03.2017)

19. It has been decided that in supersession to Board/s letters (i) E(NG)I-2004/PM2/3 dated 05.08.2004 &20.10.2005 and No. E(NG)I-2008/PM1/6 dated 23.06.2017

a. Eligible staff working in grades lower than the grades/pay scale for which GDCE is being conducted be permitted to appear in GDCE selections or all categories.

b. Eligible staff working in same grade/pay scale for which GDCE is being conducted may be permitted to appear in selection for GDCE from Non-safety to safety category posts as well as Safety to Safety category posts.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2008/PM1/6 Part dated 24.07.2017)

20. Vide Board's letter No. **E(NG)I/2019/PM4/8 Pt dated 27.12.2022** the reservation for PwBD , which is a horizontal reservation, will be applicable in GDCE also to the permissible extent. However EWS are outside the ambit of reservation for GDCE scheme.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I-2018/PM1/23 dated 23.04.2019 &

Board's Letter No E(NG)I/2019/PM4/8 Pt dated 27.12.2022)

21. All departmental promotions examinations for serving employees are set in Hindi and English only. Accordingly, there is no necessity for GDCE question papers (Where such GDCE is conducted separate from the examination for Direct Recruitment from open market) to be set in languages other than Hindi and English. However, it is clarified that letter dated 21.08.2019 does not restrict Railways from setting up the GDCE question papers in local/regional language(s).

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2018/PM1/4 dated 21.08.2019 & dated 09.09.2019)

22. It has been decided under:-

a. Negative marking to continue for GDCE as for RRB examinations.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2018/PM1/4 dated 14.11.2019)

23. It has been decided that an employee of a production unit can have opportunity for GDCE in only one Zonal Railway with which each is clubbed for the purpose of GDCE.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2018/PM1/23 dated 07.01.2020)

24. (i) The staff of Accounts Department are allowed to appear in GDCE of other department.

(ii) Staff of other Departments are allowed to appear in GDCE of Accounts Department (for the post of Accounts Clerk and junior Accountant Assistant) subject to the condition that those employees qualifying as JAA through GDCE, have to qualify Appendix-II IREM Examination in 2 chances within a period of 3 years, Failure to do so will render such employees to be appointed as Accounts Clerk. Further promotion of such employees to the post of JAA will be governed by extant promotion rules including qualifying Appendix-II IREM Examination.

(iii) Above provision is applicable for a period of 2 years whereafter, this will be reviewed.

(iv) GDCE is also permitted in the category of Law Assistants.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2020/PM9/1 dated 24.11.2021)

NOTE: Further review is under process.

25. It has been clarified that in cases where panels have not been formed and where representations are received for cancellation of CBT held as part of selection/LDCE/GDCE due to technical glitches on a sufficiently large scale or any other major irregularity or procedural lapse, appropriate decision may be taken in the matter by the panel approving authority.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2021/PM5/2 dated 30.03.2022)

26. Instructions have been issued vide letter E(NG)I/2021/PM1/8 dated 27.04.2022 regarding procedure for selection of Examination Conducting Agency (ECA) for conduct of CBT against GDCE Quota, The Exam Conducting Agency (ECA) has sole responsibility to ensure a robust mechanism for preparation of questions and a secure mechanism for the transmission of the same to the computer nodes in all the venues during examination. The Examination conducting Agency shall adhere to ensure to maintain highest standard of confidentiality in creation, processing, maintenance, storage, encryption and administration of question set. Accordingly, it is clarified that henceforth, the responsibility for setting of question paper for GDCE shall lie with the ECA selected for conduct of CBT for GDCE.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2021/PM1/8 dated 29.11.2022)

27. It has been decided that instructions contained in Railway Board's letter No. 20221/E(RRB)/23/0-9 dated 22.10.21 and E(NG)II/2022/RR-I/8 dated 15.03.2022, which stipulate that Zonal Railways may seek replacement list from Railway Recruitment Cells as per

their requirement and available vacancies in the event of any shortfall on account of non-joining of the candidates within the stipulated time given for joining the post or resignation/demise of the candidate within a period of one year from the date of joining of the candidate provided the currency of the panel is live and no fresh panel is available, may also be made applicable for GDCE.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2022/PM1/32 dated 20.04.2023)

28. The powers are being delegated to authorities as given hereunder for cancellation of Indent/Enhancement/Reduction of indents at different stages of examination:-

SN	Proposal for	Examination Stage	Authority
1.	Cancellation of Indent/ Enhancement/Reduction upto any extent	Before issue of Notified vacancies.	PCPO
2.	Enhancement/Reduction upto 50% of notified vacancies.	Before conducting of written examination.	General Manager
3.	Enhancement/reduction of more than 50% of notified vacancies.	Before conducting of written examination.	AM/Staff
4.	Enhancement/reduction of notified vacancies or cancellation of indent	After conduct of written examination(s) if it is to be followed by final examination or interview.	DG/HR
5.	Reduction of notified vacancies or cancellation of Indent.	After conduct of Ist/IInd stage written examination/ interview but before publication of panel.	DG/HR

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2023/PM1/12 dated 16.02.2024)

29. It has been decided that the Currency of the GDCE scheme may be extended for a further period of two years i.e. upto 31.03.2026.

(Ref: Board's Letter No. E(NG)I/2020/PM1/9 Dated 04.03.2024)

****

General:

(a) While referring to this Circular, The Original letters referred to herein should be read for a proper appreciation. This circular is only a consolidation of the instructions issued so far and should not be treated as a substitution to the originals. In case of doubts, the original circular should be relied upon as authority.

(b) The instructions contained in the original circulars referred to have only prospective effect from the date of issue unless specifically indicated otherwise in the concerned

circular. For dealing with old cases, the instructions in-force at the relevant time should be referred to; and

(c) If any circular on the subject, which has not been suspended, has not been taken into consideration while preparing this consolidated letter, the said circular, which has been missed through oversight, should be treated as valid and operative. Such a missing circular, if any, may be brought to the notice of the Railway Board.

The consolidation has been made from the following circulars/letters:

1. **No. E(NG)I/92/PM2/16 dated 20.08.1993**
2. **No. E(NG)I-92/PM2/16/Vol.II dated 08.04.1999.**
3. **No. E(NG)I-99/PM1/13 dated 07.05.1999.**
4. **No. E(NG)I/92/PM2/16/Vol.II Dated 11.06.1999.**
5. **No. E(NG)I/98/PM1/49 Dated 07.10.1999.**
6. **No. E(NG)I-2000/PM2/12 dated 21.08.2001.**
7. **No.E(NG)I/2001/PM2/12 dated 21.01.2002.**
8. **No. E(NG)I/2002/PM2/9 dated 11.08.2003.**
9. **No. E(NG)I-2001/PM2/12 dated 22.07.2004.**
10. **No. E(NG)I/2010/PM1/16 dated. 10.09.2014.**
11. **No. E(NG)I/2008/PM1/16 dated. 10.06.2015.**
12. **No. E(NG)I/2008/PM1/6 Part dated. 02.03.2017.**
13. **No. E(NG)I/2008/PM1/6 Part dated. 24.07.2017.**
14. **No. E(NG)I-2018/PM1/23 dated. 23.04.2019**
15. **No. E(NG)I/2018/PM1/4 dated. 21.08.2019.**
16. **No. E(NG)I/2018/PM1/4 dated. 09.09.2019.**
17. **No. E(NG)I/2018/PM1/4 dated. 14.11.2019.**
18. **No. E(NG)I/2018/PM1/23 dated. 07.01.2020.**
19. **No. E(NG)I/2020/PM9/1 dated. 24.11.2021**
20. **No. E(NG)I/2021/PM5/2 dated. 30.03.2022.**
21. **No. E(NG)I/2021/PM1/8 dated. 29.11.2022.**
22. **No E(NG)I/2019/PM4/8 Pt dated. 27.12.2022.**
23. **No. E(NG)I/2022/PM1/32 dated. 20.04.2023**
24. **No. E(NG)I/2023/PM1/12 dated. 16.02.2024.**
25. **No. E(NG)I/2020/PM1/9 Dated 04.03.2024.**

मास्टर परिपत्र सं. 69/2024

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I/2023/पीएम1/19

नई दिल्ली, दिनांक 07.10.2024

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें,
उत्पादन इकाइयां एवं अन्य
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय : मास्टर परिपत्र - सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में समेकित अनुदेश।

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड द्वारा समय-समय पर बड़ी संख्या में आदेश/परिपत्र जारी किए गए हैं, जो अलग-अलग परिपत्रों/आदेशों के रूप में हैं। सभी संबंधितों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए अब तक जारी किए गए ऐसे सभी अनुदेशों को समेकित करने का विनिश्चय किया गया है। इस परिपत्र का संदर्भ लेते समय उचित मूल्यांकन के लिए इसमें संदर्भित मूल पत्र को पढ़ा जाना चाहिए और संदेह होने पर मूल पत्र को ही प्राधिकार माना जाना चाहिए।

2. चूंकि, इस मास्टर परिपत्र में इस विषय पर केवल महत्वपूर्ण अनुदेशों को ही शामिल किया गया है, अत: कुछ अनुदेश इसमें शामिल नहीं हो पाए होंगे। मास्टर परिपत्र में शामिल न किए गए परिपत्रों में निहित अनुदेशों को केवल उसमें शामिल न किए जाने के कारण अधिक्रमित नहीं माना जाना चाहिए।

3. प्रत्येक अनुदेश के अंतर्गत संबंधित पत्र की संख्या और तारीख का उल्लेख किया गया है, जिसे इस मंत्रालय की वेबसाइट https://indianrailways.gov.in. पर देखा जा सकता है।

07/10/24
(संजय कुमार)
उपनिदेशक, स्थापना (अराज.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)I/2023/पीएम1/19 नई दिल्ली, दिनांक 07.10.2024

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. सचिव, आरबीएसएस समूह 'क' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस समूह 'ख' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड समूह 'घ' इम्पलाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इम्पलाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ.सं.)/रेलवे बोर्ड

सलाहकार/रेल मंत्री, निजी सचिव/रेल राज्य मंत्री (डी), रेल राज्य मंत्री (जे), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/समन्वय/रेल मंत्री

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य (वित्त), सदस्य (अवसंरचना), सदस्य (कर्षण एवं चल स्टॉक), सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास), सचिव, महानिदेशक (रे.स्वा.से.) और महानिदेशक (रे.सु.ब.) के प्रधान निजी सचिव।

अपर सदस्य (वाणिज्य), अपर सदस्य (सीई), अपर सदस्य (सीएंडआईएस), अपर सदस्य (विद्युत), अपर सदस्य (बजट), अपर सदस्य (वित्त), अपर सदस्य (यांत्रिक), अपर सदस्य (योजना), अपर सदस्य (परियोजना), अपर सदस्य (उत्पादन इकाई), अपर सदस्य (सिगनल), अपर सदस्य (भंडार), अपर सदस्य (दूरसंचार), अपर सदस्य (यातायात), अपर सदस्य (निर्माण), अपर सदस्य (पर्यटन एवं खानपान), अपर सदस्य (कार्मिक), अपर सदस्य (मानव संसाधन), प्रधान कार्यपालक निदेशक (सतर्कता) और प्रधान कार्यपालक निदेशक (अवसंरचना)।

कार्यपालक निदेशक/संरक्षा (एम), कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरी (जी), कार्यपालक निदेशक (ईएंडआर), कार्यपालक निदेशक स्थापना, कार्यपालक निदेशक स्थापना (एन), कार्यपालक निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी (डब्ल्यू), कार्यपालक निदेशक स्थापना रेल भंडार (जी), कार्यपालक निदेशक स्थापना (आरक्षण), कार्यपालक निदेशक स्थापना (आरआरबी), कार्यपालक निदेशक वित्त (बजट), कार्यपालक निदेशक (रेल विद्युतीकरण), कार्यपालक निदेशक/रेलपथ (एम), कार्यपालक निदेशक वित्त (व्यय)।, कार्यपालक निदेशक वित्त (व्यय)।।, कार्यपालक निदेशक (स्वास्थ्य), कार्यपालक निदेशक स्थापना (जीसी), कार्यपालक निदेशक (सांख्यिकी), कार्यपालक निदेशक (रेलपथ/एमसी), कार्यपालक निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी (कोचिंग), कार्यपालक निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी (कर्षण), कार्यपालक निदेशक (निर्माण), कार्यपालक निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी (विकास), कार्यपालक निदेशक रेल भंडार (सी), कार्यपालक निदेशक रेल भंडार (डब्ल्यू), कार्यपालक निदेशक वेतन आयोग, कार्यपालक निदेशक वित्त (स्थापना), कार्यपालक निदेशक लेखा, कार्यपालक निदेशक सतर्कता (ए), संयुक्त सचिव (राज.) और महानिरीक्षक/रेसुब।

निदेशक वेतन आयोग-।।, कार्यपालक निदेशक (जी), निदेशक (आईएच), निदेशक (स्वास्थय एवं परिवार कल्याण), निदेशक (एमपीपी), निदेशक स्थापना (एन)।।, निदेशक स्थापना (आर), निदेशक स्थापना (डीएंडए), निदेशक स्थापना (एलएल), संयुक्त निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक स्थापना (रिप), संयुक्त निदेशक स्थापना (आरआरबी), उप निदेशक (संहिता संशोधन), उप निदेशक स्थापना (एलआर)।, उप निदेशक स्थापना (एलआर)।।, उप निदेशक स्थापना (एलआर)।।।, उप निदेशक सतर्कता (एएंडपी), उप निदेशक (राजभाषा)।, ई(एनजी)।।, ई (रिप)।, ई (रिप)।।, ई (रिप)।।।, ई (एससीटी)।, ई (एससीटी)।।, ई (आरआरबी), पीसी-।।।, पीसी-IV, पीसी-V, ई (पीएंडए)।, ई (पीएंडए)।।, सीई-।, सीई-।।, सीई-।।।, सुरक्षा (ई), सुरक्षा (एबीई), ई (एमपीपी), संरक्षा शाखा, लेखा-।।। और संहिता संशोधन कक्ष।

****

1. जी.डी.सी.ई. योजना मुख्य रूप से भाप कर्षण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कारण उत्पन्न अधिशेष कर्मचारियों को समायोजित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसके परिणामस्वरूप भाप शेड बंद हो गए हैं और माल तथा ट्रांसशिपमेंट आदि बंद हो गए हैं, नियमित कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या को रोका गया है और उन्हें वैकल्पिक नौकरियों में शीघ्रता से पुनः तैनात किया गया है।

2. सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले सभी नियमित कर्मचारी जी.डी.सी.ई. परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे।

3. जी.डी.सी.ई. में एक लिखित परीक्षा होगी और पैनल का गठन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। संवर्ग में किसी भी प्रकार की कमी से बचने के लिए परीक्षा का मापदंड सीधी भर्ती के समान होगा। यदि जी.डी.सी.ई. के परिणाम स्वरूप पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो इन रिक्तियों को रेल भर्ती बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

4. मनौवैज्ञानिक परीक्षण उन श्रेणियों के लिए आयोजित किया जाएगा, जहां सीधी भर्ती के लिए इसकी आवश्यकता हो।

5. जी.डी.सी.ई. के लिए विचारणीय क्षेत्र में जी.डी.सी.ई. के लिए अधिसूचना के प्रत्युत्तर में उचित माध्यम से आवेदन किए जाने के अध्यधीन मंडल/कारखाना/मुख्यालय/अतिरिक्त मंडलीय कार्यालय/उत्पादन इकाई के सभी विभागों/शाखाओं के संबद्ध कर्मचारी शामिल होंगे, जैसा भी मामला हो।

6. सामान्यतः सीधी भर्ती के लिए कुल आवश्यकता की जांच मुख्यालय/महाप्रबंधक कार्यालय द्वारा की जानी चाहिए और उसके पश्चात् तत्संबंधी 25% के लिए जहां तक संभव हो, क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक कार्यालय द्वारा जी.डी.सी.ई. आयोजित की जा सकती है, परंतु, यदि महाप्रबंधक द्वारा समीचीन समझा जाए तो इसे मंडल/कारखाना/क्षेत्रीय रेल के मामले में उनके द्वारा नामित अतिरिक्त मंडलीय कार्यालय द्वारा केन्द्रीय रूप से आयोजित किया जा सकता है। हालांकि, क्षेत्रीय रेल पर केन्द्रीय रूप से एक कोटि या कोटियों के समूह के लिए केवल एक जी.डी.सी.ई. आयोजित की जाएगी।

7. संवर्गों में जी.डी.सी.ई. उम्मीदवारों की वरीयता, जिनमें उन्हें रखा जाता है, सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के समान ही होगी।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 20.08.1993 का पत्र सं. ई(एनजी)I/92/पीएम2/16)

8. जूनियर इंजीनियर ग्रेड-II की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले रनिंग स्टाफ को भी 5000 - 8000/- रुपये (आरएसआरपी) के वेतनमान में जूनियर इंजीनियर ग्रेड-II की कोटियों में जी.डी.सी.ई. में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 08.04.1999 का पत्र सं. ई(एनजी)I-92/पीएम2/16/वॉल.II)

9. बोर्ड के दिनांक 20.08.93 के पत्र सं. ई(एनजी)I/92/पीएम2/16 में निहित अनुदेशों में आंशिक आशोधन करते हुए योजना में शामिल कोटियों के लिए जी.डी.सी.ई. योजना के अंतर्गत चयन के भाग के रूप में मौखिक परीक्षा आयोजित करने की परंपरा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 07.05.1999 का पत्र सं. ई(एनजी)I-99/पीएम1/13)

10. पीएनएम-एनएफआईआर की बैठक में फेडरेशन ने यह मुद्दा उठाया है कि कुछ रेलों ने गलत अर्थ निकालते हुए यह दृष्टिकोण अपना लिया है कि एक बार किसी कोटि के लिए आयोजित जी.डी.सी.ई. को उस कोटि के लिए फिर से आयोजित नहीं किया जा सकता है। बोर्ड यह स्पष्ट करना चाहता है कि यह सच है कि जी.डी.सी.ई. योजना को समय-समय पर बढ़ाया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य कभी भी विनिर्दिष्ट कोटियों में केवल एक बार जी.डी.सी.ई. आयोजित करने को प्रतिबंधित करना नहीं रहा है। इसलिए, जब तक जी.डी.सी.ई. योजना प्रचलन में है, तब तक रेलें विनिर्दिष्ट कोटियों में सीधी भर्ती रिक्तियों को भरने के लिए रे.भ.बो. को मांगपत्र देते समय उसका 25% जी.डी.सी.ई. के लिए निर्धारित करेंगी।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 11.06.1999 का पत्र सं. ई(एनजी)I/92/पीएम2/16/वॉल.II)

11. यह विनिश्चय किया गया है कि चूंकि, जी.डी.सी.ई. योजना रिक्तियों के सीधी भर्ती कोटे से बनाई गई है, अतः इसे सीधी भर्ती माना जाएगा और इसलिए, अनुमेय सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू होगा।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 07.10.1999 का पत्र सं. ई(एनजी)I/98/पीएम1/49)

12. (i) जी.डी.सी.ई. का दायरा और अधिक विस्तृत कर दिया गया है, ताकि उन सभी श्रेणियों को शामिल किया जा सके सिवाए विधि और खानपान पर्यवेक्षक ग्रेड 3200-4900/- रुपये तथा लेखा संवर्गों के, जिनमें 25% या उससे अधिक का सीधी भर्ती कोटा है,

(ii) जी.डी.सी.ई. में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मौजूदा 40 वर्ष से 42 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष से 45 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष से 47 वर्ष तक की जाए; और

(iii) जी.डी.सी.ई. को संबंधित रेल भर्ती बोर्ड द्वारा जी.डी.सी.ई. अभ्यर्थियों की अलग मेरिट सूची के साथ रेल भर्ती बोर्ड द्वारा उसी कोटि के लिए आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा के साथ आयोजित किया जाना चाहिए।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 21.08.2001 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2000/पीएम2/12)

13. महाप्रबंधकों को मौजूदा स्कीम के अंतर्गत जी.डी.सी.ई. द्वारा भरे जाने के लिए पहले से निर्धारित सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों को 25 % से अधिक, व्यक्तिगत मामलों में उनके निजी अनुमोदन से सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों को 50% की सीमा तक जी.डी.सी.ई. द्वारा सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों को भरने के लिए अनुमति देने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, ताकि अनिवार्य कोटियों में रिक्तियों को शीघ्र भरने के साथ-साथ अधिशेष कर्मचारियों की पुनः तैनाती में तेजी लाई जा सके।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 21.01.2002 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2001/पीएम2/12)

14. यह विनिश्चय किया गया है कि रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कार्मिकों को जी.डी.सी.ई. में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. विभाग के अलावा अन्य विभाग चयन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 11.08.2003 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2002/पीएम2/9)

15. जी.डी.सी.ई. के संबंध में, जो डीज़ल/विद्युत सहायक के पद को भरने के लिए इसके बाद आयोजित की जा सकती है, सीधी भर्ती कोटा के 25% और सीधी भर्ती कोटा के अतिरिक्त 25% के लिए जी.डी.सी.ई. के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा, यदि महाप्रबंधक द्वारा इसे भरने का निर्णय लिया जाए और एकल चयन आयोजित किया जाए।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 22.07.2004 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2001/पीएम2/12)

16. यह विनिश्चय किया गया है कि जहां भी, रिक्तियां प्रोन्नति कोटे में खाली रह जाती हैं, उन्हें एल.डी.सी.ई./जी.डी.सी.ई. यदि कोई हो, में आगे जोड़ा जा सकता है और एल.डी.सी.ई./जी.डी.सी.ई. की खाली रिक्तियों को अगले वर्ष/अगली चयन प्रक्रिया में सीधी भर्ती कोटा में आगे जोड़ा जा सकता है। यदि उक्त पद हेतु ऐसी कोई एल.डी.सी.ई./जी.डी.सी.ई. नहीं है, तो खाली रिक्तियों को आगामी वर्ष के सीधी भर्ती कोटा में बदला जा सकता है।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 10.09.2014 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2010/पीएम1/16)

17. यह विनिश्चय किया गया है कि सभी पदों के लिए जी.डी.सी.ई. केवल एक चरण में आयोजित की जाए, क्योंकि इसमें रेलवे कर्मचारियों की संख्या कम होती है।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 10.06.2015 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2008/पीएम1/16)

18. यह विनिश्चय किया गया है कि जो रेलवे जी.डी.सी.ई. ऑनलाइन आयोजित करना चाहते हैं, वे इस शर्त के अनुसार ऐसा कर सकते हैं कि इन ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन का व्यय रेलवे द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 02.03.2017 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2008/पीएम1/6 पार्ट)

19. यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड का दिनांक 05.08.2004 एवं 20.10.2005 का पत्र (i) ई(एनजी)I-2004/पीएम2/3 और दिनांक 23.06.2017 का ई(एनजी)I-2008/पीएम1/6 के अधिक्रमण में -

क. जिस ग्रेड/वेतनमान के लिए जी.डी.सी.ई. आयोजित की जा रही है उससे निम्न ग्रेड में कार्यरत पात्र कार्मिकों को जी.डी.सी.ई. चयनों या सभी कोटियों में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

ख. जिस ग्रेड/वेतनमान के लिए जी.डी.सी.ई. आयोजित की जा रही है, उसी ग्रेड/वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिकों को गैर-संरक्षा से संरक्षा श्रेणी के पदों के साथ-साथ संरक्षा से संरक्षा श्रेणी के पदों के जी.डी.सी.ई. के लिए चयन में भाग लेने की अनुमति होगी।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 24.07.2017 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2008/पीएम1/6 पार्ट)

20. बोर्ड का दिनांक 27.12.2022 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2019/पीएम4/8पार्ट के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण जो एक क्षैतिज आरक्षण है, जी.डी.सी.ई. में अनुमेय सीमा तक लागू होगा। हालांकि, ईडब्ल्यूएस जी.डी.सी.ई. योजना हेतु आरक्षण की परिधि से बाहर है।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 23.04.2019 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2018/पीएम1/23 एवं बोर्ड का दिनांक 27.12.2022 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2019/पीएम4/8 पार्ट)

21. सेवारत कार्मिकों के लिए सभी विभागीय प्रोन्नति परीक्षाएं केवल हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जाती हैं। तदनुसार, जी.डी.सी.ई. प्रश्न-पत्रों (जहां इस तरह के जी.डी.सी.ई. को खुले बाजार से सीधी भर्ती के लिए परीक्षा से अलग आयोजित किया जाता है) को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 21.08.2019 का पत्र रेलवे को स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा(भाषाओं) में जी.डी.सी.ई. का प्रश्न पत्र तैयार करने से नहीं रोकता है।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 21.08.2019 एवं दिनांक 09.09.2019 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2018/पीएम1/4)

22. निम्नानुसार यह विनिश्चय किया गया हैः-

क. आरआरबी परीक्षाओं की तरह जी.डी.सी.ई. के लिए भी नकारात्मक अंकन जारी रहेगा।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 14.11.2019 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2018/पीएम1/4)

23. यह विनिश्चय किया गया है कि उत्पादन इकाई के कर्मचारी को केवल एक ही क्षेत्रीय रेलवे में जी.डी.सी.ई. के लिए अवसर मिल सकता है, जिसके साथ प्रत्येक को जी.डी.सी.ई. के प्रयोजन के लिए जोड़ दिया गया है।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 07.01.2020 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2018/पीएम1/23)

24. (i) लेखा विभाग के कर्मचारियों को किसी अन्य विभाग की जी.डी.सी.ई. में भाग लेने की अनुमति है।

(ii) अन्य विभागों के कर्मचारियों को लेखा विभाग के जी.डी.सी.ई. (लेखा लिपिक और कनिष्ठ लेखा सहायक के पद के लिए) में इस शर्त के अधीन उपस्थित होने की अनुमति है कि जी.डी.सी.ई. के माध्यम से कनिष्ठ लेखा सहायक के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 3 वर्ष की अवधि के भीतर 2 अवसरों में परिशिष्ट-II आई.आर.ई.एम. परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों को लेखा लिपिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों की कनिष्ठ लेखा सहायक के पद पर आगे की प्रोन्नति, परिशिष्ट-II आई.आर.ई.एम. परीक्षा उत्तीर्ण करने सहित मौजूदा प्रोन्नति नियमों द्वारा शासित होगी।

(iii) उपरोक्त प्रावधान 2 वर्ष की अवधि के लिए लागू हैं, उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

(iv) विधि सहायकों की श्रेणी में भी जी.डी.सी.ई. की अनुमति है।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 24.11.2021 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2020/पीएम9/1)

टिप्पणीः आगे की समीक्षा प्रक्रियाधीन है।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में, जहां पैनल नहीं बनाए गए हैं और जहां चयन/एल.डी.सी.ई./जी.डी.सी.ई. के भाग के रूप में आयोजित सीबीटी को बड़े पैमाने पर तकनीकी गड़बड़ियों या किसी अन्य बड़ी अनियमितता या प्रक्रियात्मक चूक के कारण रद्द करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, पैनल अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा उक्त मामलें में उचित निर्णय लिया जा सकता है।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 30.03.2022 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2021/पीएम5/2)

26. जी.डी.सी.ई. कोटा के तहत सीबीटी आयोजित करने हेतु परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी (ईसीए) के चयन की प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 27.04.2022 के पत्र ई(एनजी)I/2021/पीएम1/8 के तहत अनुदेश जारी किए गए हैं, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी (ईसीए) की एकमात्र जिम्मेदारी प्रश्नों को बनाने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र और परीक्षा के दौरान सभी स्थानों पर कंप्यूटर नोड्स को उनके प्रसारण के लिए एक सुरक्षित तंत्र सुनिश्चित करना है। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को प्रश्न सेट के निर्माण, प्रसंस्करण, रखरखाव, संग्रहण, एन्क्रिप्शन और प्रबंधन में गोपनीयता के उच्चतम मानक को बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि अब से, जी.डी.सी.ई. के लिए प्रश्न-पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी जी.डी.सी.ई. के लिए सी.बी.टी. के संचालन के लिए चयनित ई.सी.ए. की होगी।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 29.11.2022 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2021/पीएम1/8)

27. यह विनिश्चय किया गया है कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 22.10.21 का पत्र सं. 20221/ई(आरआरबी)/23/0-9 और दिनांक 15.03.2022 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2022/आरआर-I/8 में निहित निर्देश, जो यह निर्धारित करते हैं कि क्षेत्रीय रेलें अपनी आवश्यकता और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार रेलवे भर्ती प्रकोष्ठों से प्रतिस्थापन सूची मांग सकती हैं, यदि पद ग्रहण करने के लिए दिए गए निर्धारित समय के भीतर उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण न करने या उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उम्मीदवार के त्यागपत्र/मृत्यु के कारण कोई रिक्ति हुई हो, बशर्ते पैनल की अवधि चालू हो और कोई नया पैनल मौजूद न हो, जी.डी.सी.ई. के लिए भी लागू किए जा सकते हैं।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 20.04.2023 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2022/पीएम1/32)

28. परीक्षा के विभिन्न चरणों में मांगपत्र को रद्द करने/ मांगपत्र को बढ़ाने/ मांगपत्र में कटौती करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार अधिकारियों को शक्तियां सौंपी जा रही हैं:-

क्र.सं.	प्रस्ताव	परीक्षा के चरण	प्राधिकारी
1.	किसी भी सीमा तक मांगपत्र रद्द करना/बढ़ाना/कटौती करना	अधिसूचित रिक्तियों के जारी होने से पहले	प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
2.	अधिसूचित रिक्तियों में 50% तक वृद्धि /कटौती	लिखित परीक्षा के आयोजन से पहले	महाप्रबंधक
3.	अधिसूचित रिक्तियों में 50% से अधिक वृद्धि/कटौती	लिखित परीक्षा के आयोजन से पहले	अपर सदस्य/ कार्मिक
4.	अधिसूचित रिक्तियों में वृद्धि/कटौती या मांगपत्र रद्द करना	लिखित परीक्षा (परीक्षाओं) के आयोजन के बाद यदि अंतिम परीक्षा या साक्षात्कार होना है।	महानिदेशक/मानव संसाधन
5.	अधिसूचित रिक्तियों में कटौती या	प्रथम/द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के आयोजन के	महानिदेशक/मानव

	मांगपत्र रद्द करना	बाद लेकिन पैनल के प्रकाशन से पहले	संसाधन

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 16.02.2024 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2023/पीएम1/12)

29. यह विनिश्चय किया गया है कि जी.डी.सी.ई. योजना की अवधि को दो वर्ष अर्थात् 31.03.2026 तक बढ़ाया जा सकता है।

(संदर्भः बोर्ड का दिनांक 04.03.2024 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2020/पीएम1/9)

****

सामान्यः

(क) इस परिपत्र का संदर्भ देते समय, उचित मूल्यांकन के लिए इसमें संदर्भित मूल पत्रों को पढ़ा जाना चाहिए। यह परिपत्र अब तक जारी किए गए निर्देशों का एक समेकन मात्र है और इसे मूल के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। संदेह की स्थिति में, मूल परिपत्र को ही प्राधिकार के रूप में माना जाना चाहिए।

(ख) संदर्भित मूल परिपत्रों में निहित अनुदेश जारी होने की तिथि से ही भावी प्रभाव से लागू होंगे, जब तक कि संबंधित परिपत्र में अन्यथा विशेष रूप से इंगित न किया गया हो। पुराने मामलों से निपटने के लिए, प्रासंगिक समय पर लागू अनुदेशों का संदर्भ लिया जाना चाहिए; और

(ग) यदि इस विषय पर कोई परिपत्र, जिसे निलंबित नहीं किया गया है, इस समेकित पत्र को तैयार करते समय ध्यान में नहीं लिया गया है, तो उक्त परिपत्र, जो कि भूलवश छूट गया है, को वैध और प्रभावी माना जाना चाहिए। यदि कोई ऐसा परिपत्र छूट गया है, तो उसे रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

निम्नलिखित परिपत्रों/पत्रों से समेकन किया गया है:

1. **दिनांक 20.08.1993 का पत्र सं. ई(एनजी)I/92/पीएम2/16**
2. **दिनांक 08.04.1999 का पत्र सं. ई(एनजी)I-92/पीएम2/16/वॉल.II**
3. **दिनांक 07.05.1999 का पत्र सं. ई(एनजी)I-99/पीएम1/13**
4. **दिनांक 11.06.1999 का पत्र सं. ई(एनजी)I/92/पीएम2/16/वॉल.II**
5. **दिनांक 07.10.1999 का पत्र सं. ई(एनजी)I/98/पीएम1/49**
6. **दिनांक 21.08.2001 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2000/पीएम2/12**

7. दिनांक 21.01.2002 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2001/पीएम2/12
8. दिनांक 11.08.2003 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2002/पीएम2/9
9. दिनांक 22.07.2004 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2001/पीएम2/12
10. दिनांक 10.09.2014 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2010/पीएम1/16
11. दिनांक 10.06.2015 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2008/पीएम1/16
12. दिनांक 02.03.2017 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2008/पीएम1/6 पार्ट
13. दिनांक 24.07.2017 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2008/पीएम1/6 पार्ट
14. दिनांक 23.04.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2018/पीएम1/23
15. दिनांक 21.08.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2018/पीएम1/4
16. दिनांक 09.09.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2018/पीएम1/4
17. दिनांक 14.11.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2018/पीएम1/4
18. दिनांक 07.01.2020 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2018/पीएम1/23
19. दिनांक 24.11.2021 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2020/पीएम9/1
20. दिनांक 30.03.2022 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2021/पीएम5/2
21. दिनांक 29.11.2022 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2021/पीएम1/8
22. दिनांक 27.12.2022 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2019/पीएम4/8 पार्ट
23. दिनांक 20.04.2023 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2022/पीएम1/32
24. दिनांक 16.02.2024 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2023/पीएम1/12
25. दिनांक 04.03.2024 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2020/पीएम1/9